तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
1.7.07.2025	वकील प्रार्थी उप0। बहस वकील प्रार्थी प्रा0पत्र आदेश 09 नियम 09 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्तगत प्रकरण में दिनांक 20.03.2025 को वास्ते जवाब बहस अन्तर्गत आदेश 11 नियम 14 सी0पी0सी0 तथा कन्सोलीडेशन के जवाब में रखा गया था, जिसका निस्तारण शहादत पूर्व आवश्यक एवं न्याय संगत था। वादी गत दो वर्ष से लकवे की बीमारी से ग्रस्त है उसका नियमित ईलाज चल रहा है। इसके अतिरिक्त वह नियमित रूप से बुटाटी माताजी के मन्दिर फेरी देने जाता है। जिससे बीमारी मे काफी सुधार होने से बुटाटी माताजी मन्दिर के प्रति आस्था होने से उसका आना जाना रहता है। वादी बुटाटी माता जी मन्दिर गया हुआ था। प्रकरण आवेदन जवाब बहस में ही था। जिसे मेरिट पर तय किया जाना आवश्यक है। दिनांक 20/03/2025 को वादी वकील दोपहर 2:30 बजे अपने निजी तथा आवश्यक कार्यवश जोधपुर चला गया। उस रोज 2:30 बजे तक न्यायालय कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था। स्थानीय शितला माता की प्रशासन द्वारा व्यवस्था के विश्वास पर, अभिभाषक 2:30 बजे जोधपुर ही चला गया। चुकि प्रतिवादी अधिवक्ता की माता जी के देहान्त दिनांक 03/02/2025 तथा 20/02/2025 को उनके उपस्थित नहीं होने के विश्वास पर वह जोधपुर चला गया। उक्त परिस्थिति वश तथा उसका अभिभावक तारिख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका, जो समुचित तथा युक्तियुक्त सदभावी कारण है। प्रतिवादी ने वादी तथा अभिभावक की अनुपस्थिति पर वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन का जवाब प्रस्तुत न कर वाद अदम हाजरी मे खारिज करवा दिया। जब कि उनकी ओर से आवेदन मे जवाब प्रस्तुत करना शेष था। वादी की अनुपस्थिति का उक्त उचित कारण है। प्रमाण स्वरूप ईलाज पर्चा आदि साथ संलग्न है। वादी की और से अपने तमाम गवाहान के शपथ पत्र भी रेकर्ड पर प्रस्तुत किये जा चुके है, मात्र आवेदन के जवाब निस्तारण के अभाव में शहादत नहीं हो पा रही है। वादी की ओर से कभी लापरवाही नहीं रही वाद उक्त आवश्यक निजी तथा बिमारी की वजह से उपस्थित नहीं हो सका है। वाद रेस्टोर की। पर्याप्त वजह से उपस्थित नहीं हो सका है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर विनम्र है कि वादी का वाद रेस्टोर करवाया जाना पुनः सुनवाई मे रखा जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0पत्र एवं बहस उभय पक्षकारान पर गौर व मनन किया। वस्तुतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र में तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने के वर्णित कारण युक्तियुक्त तथा स्वीकार योग्य होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर न्याय हित में 500/— रूपयें कॉस्ट पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता हैं। प्रकरण नये नंबर से दर्ज कर राजस्व मूल वाद पुनः रेस्टोर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली आयंदा दिनांक 10.09.2025 को पेश हों। SDO Sojat